

10.03.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

अतः इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिटाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम-हाजिरी' में इसी स्तर पर स्वाजि किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

10/3/25
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.), बाड़मे

